# कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

सिविल कोर्ट परिसर मेरठ में स्थित तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दो लिफ्ट जिनकी क्षमता क्रमशः 6 व्यक्ति व 20 व्यक्तियों को एक साथ ले जाने की है, के संबंध में उनके वार्षिक अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सीलबन्द टैन्डर दिनांक–19.03.2016 तक आमन्त्रित किये जाते है। उक्त लिफ्टो का वार्षिक अनुरक्षण हेतु टैन्डर किसी भी फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है। टैन्डर के साथ अंकन 5000–00 रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप मे ड्राफ्ट जिला जज, मेरठ के नाम में अथवा नगद रूप से कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ के पास दिनांक–19.03.2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा कराना होगा। टैन्डर उसी दिन 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म स्वामी टैन्डर खोलते समय यदि उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

टैन्डर केवल उसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा दाखिल किया जायेगा जिसे उक्त कार्य करने का अनुभव हो तथा अनुभव के संबंध आवश्यक प्रमाण पत्र टैन्डर दाखिल करते समय प्रस्तुत करना होगा। किसी भी टैन्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय बिना किसी कारण बताये टैन्डर प्रकिया को निरस्त कर सकते है। टैन्डर के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है। टैन्डर जिस व्यक्ति अथवा फर्म के पक्ष में स्वीकृत होगा उसे तत्काल अनुबंध पत्र का निषादन कराना होगा।

दिनांक–01.03.2016

1/03/16
(सुभाष चन्द)
अध्यक्ष, इन्फा सब कमेटी,
जनपद न्यायालय, मेरठ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।**

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5– समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतू।

6– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।

# टेन्डर में भाग लेने हेतु शर्ते

दिनांक–19.03.2016 को जनपद न्यायालय में तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दोनो लिफ्टो के वार्षिक अनुरक्षण दिनांक–01.4.2016 से 31.03.2017 तक की टेन्डर प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तो को पूर्णतया पालन करना होगा।

1– उक्त टेन्डर प्रक्रिया में टेन्डर सम्बन्धित फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा सील बन्द लिफाफें में प्रेषित किये जायेंगे।

2– टेन्डर उसी फर्म अथवा व्यक्ति का स्वीकार होगा जो न्यूनतम मूल्य पर होगा।

3– टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाले फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा धरोहर राशि अंकन–5,000/–रूपये धरोहर के रूप में कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद रूप में समय दिन 11:00 बजे तक जमा कराने होंगे।

4– टेन्डर प्रकिया में भाग लेने वाले फर्म के स्वामी अथवा व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि इस सम्बन्ध किसी भी कार्य दिवस में जानकरी प्राप्त कर सकते है।

5– जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर स्वीकार होगा उसको टेन्डर के संबंध में भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्ति के बाद ही किया जायेगा।

6– जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेन्डर स्वीकार होगा उसको टेन्डर के संबंध में लिखित अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7– कार्यदायी फर्म द्वारा प्रत्येक माह में टैक्नीशियन की जॉबवर्क आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

8– आपात स्थिति में कार्यदायी संस्था को अपना टैक्नीशियन दूरभाष सूचना पर अविलम्ब भेजना होगा तथा लिफ्ट की तुरन्त मरम्मत करानी होगी।

9– टेन्डर की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।

भवदीय,

[signature] 01/03/16

दिनांक–01.03.2016

(सुभाष चन्द)
अध्यक्ष, इन्फा सब कमेटी,
जनपद न्यायालय, मेरठ।